सख्या:-49/2023/001-87आ0/23-5-23-09(भवन)/2023टीसी

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2023**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के पूंजी लेखा मद के लेखाशीर्षक अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता के उत्तरी विंग व बार्डर विंग तथा दक्षिणी विंग के कतिपय तलों पर स्थित विभिन्न कक्षों में विट्रीफाइड टाईल्स लगाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में "अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य" मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता के उत्तरी विंग व बार्डर विंग तथा दक्षिणी विंग के विभिन्न तलों पर स्थित विभिन्न कक्षों में विट्रीफाइड टाईल्स लगाने हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 17.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि **रू0 09.00 लाख (रू0 नौ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
				(धनराशि रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1	1408बीजीबी/112बीजीबी/39वां/138सी0बी0/कार्य यो0/अना0/2022, दिनांक 21.02.2023	लखनऊ	लखनऊ में प्रमुख अभियन्ता कायोलय मुख्य अभियन्ता के उत्तरी विंग व बार्डर विंग के तृतीय तल कारीडोर में एवं दक्षिणी विंग के द्वितीय तल एवं तृतीय तल के कारीडोर में तथा उत्तरी विंग के तृतीय तल स्थित सेतु विंग के कक्ष सं0-304, 305, 306, 308, 313, 314, 315 व 317 में बिट्रीफाईड टाइल्स लगाने का कार्य।	17.95	09.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

7- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

8- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

11- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावानुसार आंकलित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- स्वीकृत कार्य में प्रस्तावानुसार सम्मिलित मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

14- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 9,00,000 (रूपये नौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059600510300 अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य-मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या:-49/2023/001-87आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- अधीक्षण अभियन्ता, 39 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।